बाहरी राज्यों के छात्रों को शपथ पत्र के बाद ही बीटेक लेट्रल एंट्री में प्रवेश

जागरण संवाददाता, देहरादून : वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विवि (यूटीयू) की ईसी (विद्या परिषद) की बैठक में निर्णय लिया गया कि विवि से संबद्ध संस्थानों में बीटेक लेट्रल एंट्री (द्वितीय वर्ष) में प्रदेश के बाहर से उन्हीं छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) के मानदंडों के अनुसार किसी भी तकनीकी शिक्षा बोर्ड से तीन-चार साल का डिप्लोमा किया हो।

साथ ही प्रवेश देने वाले संस्थान को इस आशय का शपथ पत्र भरकर विवि को देना होगा। बीटेक लेट्रल एंट्री में पहले प्रवेश उत्तराखंड मूल के छात्रों को देना अनिवार्य होगा।

शुक्रवार को वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विवि की विद्या परिषद की बैठक कुलपति प्रो. ओंकार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि विवि से संबद्ध संस्थानों में बीटेक लेट्रल एंट्री पाने वाले छात्र ने उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद से डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो और वह उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो। यदि उत्तराखंड राज्य कोटे की सीटें रिक्त रह गईं तो उसे अखिल भारतीय कोटे से मैरिट के आधार पर भरा जाएगा। बताया कि विवि की प्रथम परिनियमावली-2018 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सभी संस्थानों को पहले शपथ पत्र विवि में जमा करना होगा।